

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगाथिया बनाम विजो ड।० पाच्यं प्रजापत वमनपुरा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 37/2017

निर्णय दिनांक :- 26/11/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण राक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन पैरगु में से 0.01 रकबे पर श्री विजो ड।० पाच्यं प्रजापत ने तमाई अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पु.डा.म.क. कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगाथिया द्वारा दिनांक 29/9/17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. कडीदाबाग के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी विजो ड।० पाच्यं प्रजापत निवासी वमनपुरा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी विजो ड।० पाच्यं प्रजापत उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 161 रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म पैरगु तमाई है जो नियमन के शाय नहीं है लिहाजा वैरसायत को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paisa का 50 गुणा 3/4 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी (Three ps) वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगाथिया भू.अ.निरी. कडीदाबाग को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)